मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा सप्तम् सत्र

जुलाई, 2015 सत्र

मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 2015

(30 आषाढ़, शक संवत् 1937)

[खण्ड- 7] [अंक- 2]

मध्यप्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 2015

(30 आषाढ़, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

(10.32 बजे)

भर्त्सना

श्री सिद्धार्थ गुप्ता, अध्यक्ष, निर्धन, निःशुल्क कानूनी सहायता समिति, भोपाल की भर्त्सना

अध्यक्ष महोदय – सदन को स्मरण होगा कि दिनांक 17 जुलाई, 2014 को सदन ने प्रस्ताव पारित किया था कि सदन तेरहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है। उस समय मैंने सदन से कहा था कि प्रकरण में श्री सिद्धार्थ गुप्ता की भर्त्सना करनी है। उस हेतु मैं बाद में कार्यवाही करूँगा। तद्नुसार आज दिनांक 21 जुलाई, 2015 को श्री सिद्धार्थ गुप्ता, अध्यक्ष – निर्धन, निःशुल्क कानूनी सहायता समिति, भोपाल की भर्त्सना किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

इस अवसर पर यह सभा एक प्रकार से विधान सभा के उच्च न्यायालय के रूप में कार्य करेगी। अतः मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि जिस समय इस व्यक्ति की भर्त्सना की जाएगी उस समय सभा में पूर्ण शांति होनी चाहिए। हमें अपने विशेषाधिकारों का पूर्ण आदर करना चाहिए। अब मैं संबंधित व्यक्ति को आहूत करूँगा।

अध्यक्ष महोदय – सुरक्षा एवं पहरा अधिकारी क्या श्री सिद्धार्थ गुप्ता उपस्थित हैं ? उन्हें अंदर लाया जाए।

(श्री सिद्धार्थ गुप्ता को सदन में लाकर कटघरे में खड़ा किया गया.)

अध्यक्ष महोदय – श्री सिद्धार्थ गुप्ता आपको बिना किसी प्रमाण के माननीय अध्यक्ष विधान सभा के विरूद्व असत्य एवं अनुचित शिकायत करने और उस आधार पर समाचार प्रकाशन के लिए विज्ञप्ति जारी करने हेतु न केवल अध्यक्ष की अवमानना करने का दोषी पाया गया है अपितु विशेषाधिकार समिति के समक्ष कई बार साक्ष्य हेतु बुलाए जाने पर उपस्थित न होने के कारण आपको समिति की अवमानना के लिए भी दोषी पाया गया है।

आपके कार्य व्यवहार के कारण आपको अध्यक्ष एवं समिति की अवमानना एवं विशेषाधिकार भंग का दोषी ठहराया गया है।

अतः सभा के नाम से मैं आपके द्वारा सभा के विशेषाधिकार का घोर उल्लघंन करने तथा समिति की अवमानना के दोष के लिए आपकी भर्त्सना करता हूँ।

अब आप जा सकते हैं।

(श्री सिद्धार्थ गुप्ता को सदन से बाहर ले जाया गया.)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर.

श्री सुन्दरलाल तिवारी – अध्यक्ष महोदय (XXX)...(व्यवधान)...(इण्डियन नेश्नल कांग्रेस पक्ष के सदस्य अपने अपने आसन पर खड़े होकर जोर जोर से बोलने लगे)..

अध्यक्ष महोदय – कृपया आप सभी लोग बैठ जायें...(व्यवधान)..

डॉ नरोत्तम मिश्र – अध्यक्ष महोदय यह तरीका गलत है.

अध्यक्ष महोदय – कृपया आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जायें प्रश्न क्रमांक 1 ..(व्यवधान)....

डॉ नरोत्तम मिश्र – यह क्या तरीका है ?..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय – कृपया सभी लोग बैठ जायें...(व्यवधान).. आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं क्या ? प्रश्नकाल होने दें..(व्यवधान..)..

डॉ नरोत्तम मिश्र – आपका 5 नंबर पर प्रश्न है चर्चा होने दें..(व्यवधान) – रामनिवास रावत जी का प्रश्न है.

.(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय – आप सभी लोग बैठ जायें.. 5 नंबर पर प्रश्न है रावत जी का चर्चा होने दें. प्रश्न क्रमांक 2 आप सभी लोग बैठ जायें..

.(व्यवधान)..

डॉ नरोत्तम मिश्र – रावत जी आपका 5 नंबर पर प्रश्न है चर्चा नहीं करना चाहते हैं क्या ?..

.(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय – प्रश्न क्रमांक 1 श्री मेव राजकुमार जी अपना प्रश्न करें....(व्यवधान).. प्रश्न क्रमांक 2 आप सभी लोग बैठ जायें... तिवारी जी सदन में किसी प्रकार का इशारा न करें.. कृपया करके किसी प्रकार का इशारा न करें. आप सदन की मर्यादा बनाये रखें. यह बात ठीक नहीं है प्रश्नकाल में किसी को बोलने की इजाजत नहीं है.

...(व्यवधान)....

गर्भगृह में प्रवेश

इण्डियन नेश्नल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश

(इण्डियन नेश्नल कांग्रेस के माननीय सदस्यगण व्यापम मुद्दे पर अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आए)

डॉ नरोत्तम मिश्र – अध्यक्ष महोदय यह फ्लोर चर्चा के लिए खुला है तो यह चर्चा करें न..(व्यवधान) --

अध्यक्ष महोदय – यह प्रश्नकाल है प्रश्नकाल होने दें. आप बैठ जायें. प्रश्नकाल के बाद में उठायें जो भी मामला उठाना है...कृपया सभी लोग बैठ जायें..(व्यवधान)..दोनों पक्षों से मेरा अनुरोध है कि सभी लोग बैठ जायें...(व्यवधान).... आप सभी लोग बैठ जायें कृपया चर्चा होने दें आज 5 नंबर पर उसी विषय पर आपका प्रश्न है चर्चा होने दें कृपया.... यह बात ठीक नहीं है..(व्यवधान)....

श्री विश्वास सारंग –...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय – कृपया बैठ जायें तिवारी जी सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि कृपया प्रश्नकाल होने दें. आज आपका प्रश्न भी है 5 नंबर पर कृपया उसको होने दें.... नहीं पहले प्रश्न होने दें अभी किसी की बात नहीं सुनी जायेगी...(व्यवधान).. प्रश्न क्रमांक 1 श्री मेव राजकुमार.. कुछ भी लिखा नहीं जायेगा...

एक माननीय सदस्य – अध्यक्ष महोदय प्रश्नकाल पूरा करवाइये. यह कांग्रेस के लोग सदन में चर्चा से भागते हैं...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय – आप कृपया बैठ जायें..

डॉ नरोत्तम मिश्र – यह लोग चर्चा से भाग रहे हैं..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है.. प्रश्नकाल होने दें.. यह बात ठीक नहीं है..कृपया माननीय सदस्य बैठ जायें. कृपया प्रश्नकाल होने दें. श्री कुशवाह जी का प्रश्न है उनका प्रश्न होने दें..(व्यधान).. सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित.

(10.40 से 10.52 बजे तक अंतराल)

(10.52 बजे) विधान सभा की कार्यवाही पुन: समवेत हुई ।

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए}

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्नकाल में किसी की बात नहीं सुनी जायेगी । ...(व्यवधान)..... प्रश्नकाल में किसी की बात नहीं सुनी जायेगी, कृपया प्रश्नकाल चलने दें । पांच नंबर पर आपका प्रश्न है आज,पांच नंबर का प्रश्न है उसका उत्तर ले लें फिर बात करें । यह बात ठीक नहीं है किसी की बात नहीं सुनी जायेगी । श्री राजकुमार मेव अपना प्रश्न करें ...(व्यवधान)..... प्रश्न क्रमांक 2 श्री गिरीश भंडारी, प्रश्नकाल में कोई हाथ नहीं उठाएं, अभी ऐसा क्या हो रहा है जो हाथ उठा रहे हैं ।...(व्यवधान)..... अभी हो क्या रहा है । आपका प्रश्न पांचवे नंबर पर है आप बैठ जायें । बैठ जाइये अपने-अपने स्थान पर जाइये । ...(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय-- व्यवधान में कुछ लिखा नहीं जायेगा । कृपया बैठ जायें, दोनों पक्षों से अनुरोध है, कृपया बैठ जायें । प्रश्नकाल में कुछ नहीं सुना जायेगा, नहीं यह बात ठीक नहीं है । कृपया बैठ जायें । ...(व्यवधान).....

श्री सुंदरलाल तिवारी—(XXX)

गर्भगृह में प्रवेश

इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण व्यापम मुद्दे पर गर्भगृह में आये)

अध्यक्ष महोदय—आप वेल में नहीं आईये, आप लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, (श्री सुंदरलाल तिवारी जी एवं कांग्रेस सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश करने पर) आप अपने स्थान पर जाइये । ...(व्यवधान)..... तो प्रश्न पूछिये न, आप जांच होने दीजिये, कृपया वेल में कोई नहीं आयेगा । ...(व्यवधान).....

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय—अपने-अपने स्थान पर जायें। आप अपना प्रश्न करें, वापिस जाइये ...(व्यवधान)..... नहीं इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते। प्रश्न तो पूछिये न आप, आप प्रश्न पूछें। ...(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय-- आप अपने स्थान पर जायें, आप लोग भी बैठिये अपने स्थान पर। ...(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय—विधानसभा की कार्यवाही 11.30 बजे तक स्थगित।

(10.55 से 11.33 बजे तक अंतराल)

11.33 बजे विधानसभा की कार्यवाही पुन: समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

श्री सुंदरलाल तिवारी – माननीय अध्यक्ष महोदय, (XXX)

11.34 बजे **निंदा प्रस्ताव**

संसदीय कार्य मंत्री(डॉ.नरोत्तम मिश्र) – अध्यक्ष महोदय मैंने एक निंदा प्रस्ताव दिया है. विपक्ष लंबे समय से प्रश्नकाल नहीं चलने दे रहा है. लगातार एक व्यवधान कर रहे हैं. अध्यक्ष जी मैंने आपको एक निंदा प्रस्ताव दिया है विपक्ष के इस व्यवहार के लिये ,मैंने विपक्ष के इस व्यवहार के लिये आपको एक निंदा प्रस्ताव दिया है. (व्यवधान)

श्री सुंदरलाल तिवारी- माननीय अध्यक्ष महोदय, 48 लोगों की हत्या करने वाले मुख्यमंत्री इस्तीफा दें ..(व्यवधान)राज्यपाल इस्तीफा दें..

डॉ. नरोत्तम मिश्र – अध्यक्ष जी, मैंने विपक्ष के इस कृत्य के लिये निंदा प्रस्ताव दिया है. आपको यह लगातार सदन का महत्वपूर्ण समय जाया कर रहे हैं. हम कहते हैं कि जिस विषय पर चर्चा चाहते हैं , चर्चा करायें. हम लोगों को यह समय चर्चा के लिये मिला है. (XXX) चर्चा करना है तो हाउस में करें. इस तरह का आचरण जो है यह अशोभनीय आचरण है.

श्री उमंग सिंगार – माननीय अध्यक्ष महोदय, (XXX) (व्यवधान)

डॉ. नरोत्तम मिश्र – अध्यक्ष जी, यह इनका असंसदीय आचरण है, निंदनीय आचरण है, अक्षम्य आचरण है..

अध्यक्ष महोदय—(श्री सुंदरलाल तिवारी जी से)आज आपके दो प्रश्न थे, उस विषय पर आपका खुद का प्रश्न भी था और 5 नंबर पर प्रश्न था.

डॉ.नरोत्तम मिश्र—अध्यक्ष महोदय, अगर यह चाहते तो चर्चा कर सकते थे.

अध्यक्ष महोदय—और 5 नंबर पर मुख्य सचेतक जी का प्रश्न था..

डॉ.नरोत्तम मिश्र – यह चर्चा से भाग रहे हैं, (XXX) माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चर्चा को तैयार हैं.

अध्यक्ष महोदय—पर इसके बाद में आप लोगों ने चर्चा करना उचित नहीं समझा. यह बड़ी अजीब बात है.

डॉ.नरोत्तम मिश्र – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के इस कृत्य की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं. मैंने आपको निंदा का प्रस्ताव दिया है, आप चर्चा करना चाहते तो चर्चा करते, अभी करना चाहें तो अभी करते. काहे पर चर्चा चाहते हैं हम चर्चा को तैयार हैं.

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री "इस्तीफा दो"–"इस्तीफा दो" के नारे लगाये गये)

गर्भगृह में प्रवेश

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश

(इंडियन नेश्नल कांग्रेस के सदस्यगण व्यापम मुद्दे पर मुख्यमत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर के गर्भगृह में आये)

डॉ.नरोत्तम मिश्र – अध्यक्ष महोदय, हम चर्चा को तैयार हैं..

वन मंत्री (डॉ.गौरी शंकर शेजवार)—अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल नहीं चलने देना, वेल में आना यह अशोभनीय है और निंदनीय है, इसकी घोर निंदा करना चाहिये ..यह सदन का समय बर्बाद किया जा रहा है जनता की गाढ़ी कमाई को यह बर्बाद कर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय—प्रश्न पूछने के बजाए उसी विषय पर खड़े होते 5 नंबर पर उनका प्रश्न था और आप यहां वेल में आ गये ,अपने स्थान पर बहस करते तो ज्यादा ठीक रहता. कृपया बैठ जायें....

(व्यवधान)

डॉ. गौरीशंकर शेजवार – इस तरह व्यवधान उत्पन्न करना, सदन को न चलने देना, यह घोर निन्दनीय है.

(इण्डियन नेशनल कॉग्रेस के सदस्यगण गर्भगृह में आकर अपनी बात कहते रहे.)

अध्यक्ष महोदय – कृपया बैठ जाइये. पहले कार्यवाही एवं उसके बाद आखिरी में चर्चा करेंगे. इस तरह नारे लगाने से कोई फायदा नहीं है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा –(XXX)

(व्यवधान)

11.36 बजे **नियम 267-क के अधीन विषय**

अध्यक्ष महोदय - निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं* सदन में पढ़ी हुई मानी जाएँगी. डॉ. गोविन्द सिंह, श्री बलबीर सिंह दण्डोतिया, श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, डॉ. रामकिशोर दोगने, श्री ठाकुर दास नागवंशी, श्री रामलाल रौतेल, श्री सचिन यादव, श्री दुर्गालाल विजय एवं श्री आरिफ अकील.

11.37 बजे **अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना**

संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों–

(क) मध्यप्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक-1 सन् 2015) दिनांक 27 अप्रैल, 2015.

(ख) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक-2 सन् 2015) दिनांक 27 अप्रैल, 2015 तथा

(ग) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक-3 सन् 2015) दिनांक 8 जून, 2015 पटल पर रखना.

विधि एवं विधायी कार्य मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) – अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों –

(क) मध्यप्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक-1 सन् 2015) दिनांक 27 अप्रैल, 2015.

(ख) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक-2 सन् 2015) दिनांक 27 अप्रैल, 2015 तथा

(ग) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक-3 सन् 2015) दिनांक 8 जून, 2015 पटल पर रखती हूँ.

अध्यक्ष महोदय – कृपया बैठ जाइये. कुछ भी कार्यवाही में नहीं आ रहा है. कोई फायदा नहीं है, आप बैठ जाइये.

श्री रामपाल सिंह – कॉग्रेस के पास हल्ला करने के अलावा कोई काम नहीं है.

11.38 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

(1) मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 39 वॉ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2013-2014.

वन मंत्री (डॉ. गौरी शंकर शेजवार) – अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 39 वॉ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2013-2014 पटल पर रखता हूँ. मैं इसकी घोर निन्दा करता हूँ कि सदन को चलने नहीं दे रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ निन्दा प्रस्ताव लिया जाये.

(2) (क) मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि अधिनियम, 2012 (क्रमांक-18 सन् 2012) की धारा 8 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि का द्वितीय वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 तथा

(ख) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित का दसवॉ वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 पटल पर रखना.

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) – अध्यक्ष महोदय, मैं,

(क) मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि अधिनियम, 2012 (क्रमांक-18 सन् 2012) की धारा 8 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि का द्वितीय वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 तथा

(ख) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित का दसवॉ वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 पटल पर रखता हूँ.

अध्यक्ष महोदय – चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है. कार्यवाही में कुछ नहीं आ रहा है.

(व्यवधान)

(3) मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 (9 जुलाई, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक)

लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) – अध्यक्ष महोदय, मैं, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 (9 जुलाई, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक) पटल पर रखती हूँ.

(व्यवधान)

(4) निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015.

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) – अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक-17 सन् 2007) के तहत बनाये गये नियम 2008 की धारा 22 की अपेक्षानुसार निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 पटल पर रखता हूँ.

(5) माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015.

जनसम्पर्क मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) – अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1990 (क्रमांक 15 सन् 1990) की धारा 36 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 पटल पर रखता हूँ.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा –(XXX)

अध्यक्ष महोदय – बहस करिये, बहस करिये, बाहर नारे लगाइये. चर्चा कीजिए.

(6) राजस्व विभाग की निम्न अधिसूचनाएँ :-

(क) क्रमांक-एफ-2-8-2012-सात-शा-6 दिनांक 10 मई, 2013 एवं

(ख) क्रमांक-एफ-2-1-2013-सात-शा-6 दिनांक 26 मार्च, 2015

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) – अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की निम्न अधिसूचनाएँ :-

(क) क्रमांक-एफ-2-8-2012-सात-शा-6 दिनांक 10 मई, 2013 एवं

(ख) क्रमांक-एफ-2-1-2013-सात-शा-6 दिनांक 26 मार्च, 2015 पटल पर रखता हूँ.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार – (XXX)

..(व्यवधान)..

(7) **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की चतुर्थ रिपोर्ट वर्ष 2008-2009 की अनुशंसाओं पर पालन प्रतिवेदन.**

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) –

अध्यक्ष महोदय, मैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 338-क की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की चतुर्थ रिपोर्ट वर्ष 2008-2009 की अनुशंसाओं पर पालन प्रतिवेदन पटल पर रखता हूं.

..(व्यवधान)..

(8) मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008 से 2013

राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री लाल सिंह आर्य) --

अध्यक्ष महोदय, मैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008 से 2013 तक पटल पर रखता हूं.

..(व्यवधान)..

(9) मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012

राज्यमंत्री, पर्यटन (श्री सुरेन्द्र पटवा) --

अध्यक्ष महोदय, मैं, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619—क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 पटल पर रखता हूं.

..(व्यवधान)..

11.47 बजे

फरवरी-मार्च,2015 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय:- फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर के पूर्ण उत्तर का संकलन पटल पर रखा गया।

..(व्यवधान)..

नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च,2015 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय:- नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2015 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाएं तथा शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखा गया।

..(व्यवधान)..

कृपया बैठ जाइये. आप कृपया बैठ जायें.

..(व्यवधान)..

11.48 बजे

राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय :- चतुर्दश विधान सभा के विगत सत्रों में पारित निम्नलिखित तीन विधेयकों को मान. राज्यपाल महोदय तथा एक विधेयक को मान. राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है :-

1. मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2015 (क्रमांक 7 सन् 2015) –(अधिनियम क्रमांक 9 सन् 2015)
2. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 1 सन् 2015)-(अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2015)
3. मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2015) – (अधिनियम क्रमांक 11 सन् 2015)
4. रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 27 सन् 2014) –(अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2015)

इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किए जाएंगे.

.. (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- ध्यान आकर्षण की सूचनायें. श्री जालम सिंह पटेल, आप अपनी ध्यान आकर्षण की सूचना पढ़िये. ..(व्यवधान).. कृपया बैठ जाइये. (गर्भगृह में सदस्यों से) आप जो भी बात करें, नियम प्रक्रियाओं में करें. श्री जालम सिंह पटेल, कृपया अपने ध्यान आकर्षण की सूचना पढ़ें. ..(व्यवधान).. कृपया बैठ जायें. (गर्भगृह में सदस्यों से) आप दूसरे सदस्यों के अधिकार को बाधित नहीं कर सकते. ..(व्यवधान)..

11.49 बजे

ध्यान आकर्षण

(1) नर्मदा नदी में शहरों से गंदगी एवं उद्योगों द्वारा प्रदूषित जल छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति.

श्री जालम सिंह पटेल (नरसिंहपुर) -- अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

नर्मदा नदी मध्यप्रदेश की जीवन रेखा है जिला नरसिंहपुर, रायसेन एवं होशंगाबाद जिलों में नर्मदा नदी का जल बेहद प्रदूषित हो चुका है इस ओर विभाग का ध्यान नहीं है । शहरों की गंदगी, सीवेज का पानी, उद्योग द्वारा निष्कासित प्रदूषित जल व मलबा प्रतिदिन भारी मात्रा में नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार नर्मदा में मिलने वाली सहायक नदियों के जल में भी प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाने से नर्मदा का जल दूषित हो रहा है । बरमान घाट सूरज कुंड में श्रद्धालुओं द्वारा कपड़े छोड़ देने , धार्मिक स्थलों पर मृतकों के अंतिम संस्कार के बाद राख एवं हड्डियों को बहा देने की स्थितियों के कारण नर्मदा का जल जो कि "ए" ग्रेड का था वह आज "सी" ग्रेड में पहुंच गया है । नर्मदा एक पवित्र नदी होने के साथ ही लाखों लोगों की जनभावना भी जुड़ी हैं । बारह महीने अनेकों श्रद्धालु नर्मदा की परिक्रमा करते हैं । नर्मदा जल में लगातार बढ़ता प्रदूषण श्रद्धालुओं व आमजन में चिंता का विषय बन गया है । नर्मदा नदी को प्रदूषण से बचाने हेतु कारगर कदम नहीं उठाये जा रहे हैं जिससे आमजन एवं श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त है।

..(व्यवधान)..

राज्यमंत्री, नगरीय विकास एवं पर्यावरण (श्री लाल सिंह आर्य) -- अध्यक्ष महोदय,

यह सही है कि पवित्र नदी नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवनरेखा माना गया है । म.प्र. शासन द्वारा 14 जून 2012 को नर्मदा को प्रदूषण मुक्त कराने के लिये विस्तृत कार्य योजना तैयार करने हेतु अन्तरविभागीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, उद्योग विभाग, एप्को, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सम्मलित हैं। समिति की 14 बैठकें हो चुकी हैं एवं इस विषय में संबंधित विभागवार कार्यवाही की योजना प्रचलन में है। उल्लेखनीय है कि मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोनल बेन्च भोपाल में आवेदन कमांक 139/2013 विचाराधीन है जिसमें नर्मदा नदी के प्रदूषण .नियंत्रण की विभिन्न विभागों की योजनाओं के संबंध में मान्नीय अधिकरण द्वारा स्वयं निर्देश देकर निगरानी की जा रही है।

नरसिंहपुर, रायसेन एवं होशंगाबाद में नर्मदा नदी में केवल एक उद्योग मैसर्स सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद का 3.5 एमएलडी निर्धारित मानकों तक उपचारित निस्राव होशंगाबाद के डाउनस्ट्रीम में मिल रहा है । उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सीवेज उपचार की योजना बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं । जन-जागरण एवं जन-भागीदारी के माध्यम से श्रद्धालुओं एवं तटीय जनता को रोकने के लिये म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सभी प्रमुख घाटों पर विगत 4 वर्षों में वाल रायटिंग, होर्डिंग, रैली, पेम्पलेट वितरण, प्रदर्शनी, साधु-सन्तों एवं स्थानीय नागरिकों के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं । नर्मदा नदी के 25 बिन्दुओं पर सतत् जल गुणवत्ता मापन का कार्य किया जा रहा है जिसके अनुसार नरसिंहपुर जिले के बरमानघाट नरसिंहपुर में जल गुणवत्ता विगत वर्षों में बी श्रेणी एवं वर्तमान में ए श्रेणी, रायसेन जिले के शाहगंज घाट में जल गुणवत्ता विगत वर्षों में बी श्रेणी एवं वर्तमान में ए श्रेणी एवं होशंगाबाद में जल गुणवत्ता विगत वर्षों में बी श्रेणी एवं वर्तमान में ए श्रेणी पाई गई है ।

उपरोक्त वर्णित स्थिति से स्पष्ट है कि नर्मदा जल में प्रदूषण स्तर में वृद्धि नहीं हो रही है। अतः यह कहना सही नहीं है कि श्रद्धालुओं एवं आमजन में आक्रोश होने जैसी स्थिति है।

(..व्यवधान.).. (कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में नारे लगाये जाते रहे.)

अध्यक्ष महोदय – कृपया अपने स्थान पर जाएं. तिवारी जी यह ठीक नहीं है. कृपया अपने स्थान पर जाएं.(..व्यवधान..)

डॉ.गौरीशंकर शेजवार – यह निंदनीय है. तिवारी जी का व्यवहार निंदनीय है.(..व्यवधान..)

(2) **सीहोर एवं शाजापुर जिले में कृषक अनुदान योजनान्तर्गत विद्युत ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाना.**

अध्यक्ष महोदय – श्री शैलेन्द्र पटेल अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें.(..व्यवधान..)

(श्री शैलेन्द्र पटेल,सदस्य द्वारा उनकी ध्यानाकर्षण सूचना अत्यधिक व्यवधान के मध्य पढ़ी गई एवं माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा उस पर वक्तव्य दिया गया.)

अध्यक्ष महोदय – माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर जाएं.(..व्यवधान)..

(कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में नारे लगाये जाते रहे.)

श्री शैलेन्द्र पटेल (इछावर) - अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है -

सीहोर एवं शाजापुर जिलों में लगभग 1500 किसानों के द्वारा कृषक अनुदान योजनांतर्गत अपनें हिस्से की राशि जमा करवानें के बाद भी उनके ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जा रहें हैं। ट्रांसफार्मर नहीं लगनें से उनका कृषि कार्य नहीं हो पा रहा है उनकी फसलें सूख रहीं है । किसान लगभग 12 माह से सीहोर और भोपाल के बिजली कार्यालय के चक्कर लगा-लगाकर परेशान हैं, लेकिन शासन प्रशासन में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रहीं है । शासन के इस पक्षपातपूर्ण रवैयें एवं किसानों की समस्या का निराकरण न होने से शासन के प्रति भारी रोष व्याप्त हैं

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) - माननीय अध्यक्ष महोदय,

किसानों को स्थायी विद्युत पंप कनेक्शन प्रदाय करने हेतु कृषक अनुदान योजना दिनांक 1 अप्रैल' 2011 से लागू की गई है। कृषक अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदक द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने एवं पहुंच मार्ग (आर.ओ.डब्ल्यू.) उपलब्ध होने पर कार्यादेश जारी किये जाने की तिथि से 150 दिवस में कनेक्शन प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजनान्तर्गत सीहोर जिले में अभी तक किसानों से प्राप्त कुल 4463 आवेदनों में से 3830 सिंचाई पंपों के कार्य पूर्ण कर कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं। इस प्रकार 86 प्रतिशत आवेदनों में कार्य पूर्ण कर कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं। शेष 633 आवेदनों में से मात्र 147 आवेदन ऐसे हैं, जिनके कार्य निर्धारित समय सीमा 150 दिवस में पूर्ण नहीं किये जा सके हैं। इन कनेक्शनों में विलंब का मुख्य कारण अधोसंरचना के कार्य हेतु पहुंच मार्ग (आर.ओ.डब्ल्यू.) उपलब्ध नहीं होना है। फसल आदि के कारण भी कार्य में कठिनाई होने से उक्त कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं किये जा सके हैं। ये कार्य प्रगति पर है, जिन्हें शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

शाजापुर जिले (नवनिर्मित आगर जिले सहित) में अभी तक किसानों से प्राप्त कुल 3705 आवेदनों में से 3182 सिंचाई पंपों के कार्य पूर्ण कर कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं। इस प्रकार 86 प्रतिशत आवेदनों में कार्य पूर्ण कर कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं। शेष 523 आवेदनों में से मात्र 90 आवेदन ऐसे हैं, जिनके कार्य निर्धारित समय सीमा 150 दिवस में पूर्ण नहीं किये जा सके हैं। इन कनेक्शनों में विलंब का मुख्य कारण अधोसंरचना के कार्य हेतु पहुंच मार्ग (आर.ओ.डब्ल्यू.) उपलब्ध नहीं होना रहा है। फसल आदि होने के कारण भी कार्य में कठिनाई होने से उक्त कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं किये जा सके हैं। ये कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

उक्त 237 लंबित आवेदनों की औसत अवधि 200 दिवस है, जो कि निर्धारित समय सीमा से औसतन 50 दिवस अधिक है। अतः यह कहना सही नहीं है कि लगभग 12 माह से किसान सीहोर एवं भोपाल के बिजली कार्यालय के चक्कर लगा-लगाकर परेशान है।

किसानों की सिंचाई हेतु विद्युत की आवश्यकताओं के दृष्टिगत प्रदेश में उपलब्ध विद्युत अधोसंरचना से ही विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा किसानों की मांग पर उन्हें तत्काल अस्थायी विद्युत कनेक्शन दिये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में सीहोर जिले में 20067 तथा शाजापुर जिले में 16600 अस्थायी पंप कनेक्शन प्रदान किये गये थे। इसके अतिरिक्त सीहोर एवं शाजापुर जिलों में क्रमशः 48389 एवं 70200 स्थायी कनेक्शन भी स्थापित हैं तथा कृषकों को सुचारू रूप से बिजली प्रदान की जा रही है। अतः यह कहना सही नहीं है कि ट्रांसफार्मर नहीं होने के कारण कृषि कार्य नहीं हो पा रहे हैं तथा फसलें सूख रही हैं।

कृषक अनुदान योजनान्तर्गत किसानों को समय से कनेक्शन दिये जा रहे हैं। ऐसे प्रकरण, जिनमें मुख्यतः पहुंच मार्ग (आर.ओ.डब्ल्यू.) आदि की समस्या आई है, उन किसानों को कनेक्शन देने में निर्धारित सीमा से अधिक समय लगा है। किसानों में किसी प्रकार का रोष एवं असंतोष व्याप्त होने जैसी कोई स्थिति नहीं है । विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा जिन किसानों के आवेदनों पर स्थायी कनेक्शन दिये जाना शेष है, उन्हें शीघ्रातिशीघ्र स्थायी कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही, संबंधित वितरण कंपनी द्वारा की जा रही है।

(समय11.46 बजे)

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय :- कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 20 जुलाई, 2015 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है:-

क्रमांक	नाम शासकीय विधेयक	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 4 सन् 2015)	30 मि.
2.	मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण)विधेयक,2015 (क्रमांक 5 सन् 2015)	30 मि.
3.	मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक,2015 (क्रमांक 6 सन् 2015)	1 घंटा
4	मध्यप्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 7 सन् 2015)	30 मि.
5.	मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2015	30 मि.
6.	वर्ष 2015-2016 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण.	2 घंटे
7.	वर्ष 1997-98 की अधिकाई अनुदानों की मांगो पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरस्थापन, विचार एवं पारण.	30 मि.
8.	प्रदेश में आंधी,तूफान व भारी वर्षा से फसलों के बर्बाद होने पर किसानों को मुआवजा न मिलने के संबंध में श्री रामनिवास रावत, सदस्य की नियम 139 के अधीन सूचना पर चर्चा	1 घंटा 30 मि.
9.	मध्यप्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का सत्ताईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009, अट्ठाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010, उन्नतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011, तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 तथा इकतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 के साथ ही उपरोक्त सभी वार्षिक प्रतिवेदनों के व्याख्यात्मक ज्ञापन पर चर्चा.	1 घंटा
10.	मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन 2013-2014 पर चर्चा.	1 घंटा
11.	मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 (दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि हेतु) पर चर्चा.	1 घंटा
12.	मध्यप्रेदश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2013-2014 पर चर्चा.	1 घंटा
13.	एम.पी. पॉवर मैंनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड का अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 पर चर्चा.	1 घंटा

अब, इसके संबंध में डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि-

अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उसे सदन स्वीकृति देता है.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि-

जिन कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उसे सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(11.50 बजे) **सभापति तालिका की घोषणा**

अध्यक्ष महोदय :- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन, मैं, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति के लिए नाम निर्दिष्ट करता हूं :-

1. श्री मानवेन्द्र सिंह,
2. श्री कैलाश चावला,
3. श्रीमती अर्चना चिटनीस,
4. श्री गिरीश गौतम,
5. श्री रामनिवास रावत, तथा
6. श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा .

(11.51 बजे) **प्रतिवेदनों की प्रस्तुति**

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (सभापति):- अध्यक्ष्ा महोदय, मैं, याचिका समिति का दशम् एवं एकादश प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(11.52 बजे) **याचिकाओं की प्रस्तुति**

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित याचिकाएं * प्रस्तुत की हुई मानी जायेंगी।*

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप जो बोल रहे हैं वह कुछ भी कार्यवाही में नहीं आयेगा।

(11.52 बजे)

लोक लेखा, प्राक्कलन,सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिए सदस्यों का निर्वाचन

श्री जयंत मलैया (वित्त मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम- 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (1), 223-क के उपनियम (1) तथा 234-ढ़ के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए क्रमश: लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह-ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि--

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम- 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (1), 223-क के उपनियम (1) तथा 234-ढ़ के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए क्रमश: लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह-ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(11.53 बजे)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन

श्री ज्ञान सिंह (आदिम जाति कल्याण मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2015-2016 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमश: चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों.".

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि--

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2015-2016 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमश: चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(11.54 बजे)

निर्वाचन का कार्यक्रम

लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी, स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

1. **नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में गुरूवार, दिनांक 23 जुलाई, 2015 को अपराह्न 2.00 बजे तक दिये जा सकते हैं;**

2. **नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2015 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक- 6 में होगी;**

3. **उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना शनिवार, दिनांक 25 जुलाई, 2015 को अपराह्न 2.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है;**

4. **निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान सोमवार, दिनांक 27 जुलाई, 2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा.**

5. **निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा.**

उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं.

अध्यक्ष महोदय—बिना अनुमति के जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड नहीं किया जायेगा. (व्यवधान)

11.55 बजे **शासकीय विधि विषयक कार्य**

(1) मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 4 सन् 2015) का पुर:स्थापन.

वित्त मंत्री (श्री जयंत मलैया)—अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015 के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूँ.

अध्यक्ष महोदय—प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015 के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय.

अनुमति प्रदान की गई.

श्री जयंत मलैया—अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015 का पुर:स्थापन करता हूँ.

(व्यवधान)

(2) मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 (क्रमांक 5 सन् 2015) का पुर:स्थापन.

विधि और विधायी कार्य मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले)—अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 (क्रमांक 5 सन् 2015) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहती हूँ.

अध्यक्ष महोदय—प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 (क्रमांक 5 सन् 2015) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय.

अनुमति प्रदान की गई.

(व्यवधान)

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 (क्रमांक 5 सन् 2015) का पुर:स्थापन करती हूँ.

(व्यवधान)

(3) मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2015 (क्रमांक 6 सन् 2015) का पुर:स्थापन

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर)—अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2015 के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूँ.

अध्यक्ष महोदय—प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2015 के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय.

अनुमति प्रदान की गई.

श्री बाबूलाल गौर—अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2015 का पुर:स्थापन करता हूँ.

श्री मनोज सिंह पटेल—(xxx)

(व्यवधान)

11.56 बजे **वर्ष 2015-2016 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन**

वित्त मंत्री (श्री जयंत मलैया)—अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2015-2016 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करता हूँ.

अध्यक्ष महोदय—मैं, इस प्रथम अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिये दिनांक 22 जुलाई, 2015 को 2 घंटे का समय नियत करता हूँ.

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

11.57 बजे **वर्ष 1997-1998 के आधिक्य के विवरण का उपस्थापन**

वित्त मंत्री (श्री जयंत मलैया)—अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 1997-1998 के दत्तमत अनुदान और भारित विनियोग पर आधिक्य के विवरण का उपस्थापन करता हूँ.

(व्यवधान)

11.58 बजे **नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा**

प्रदेश में आंधी तूफान एवं भारी वर्षा से फसलों के बर्बाद होने पर किसानों को मुआवजा न मिलना

अध्यक्ष महोदय—अब, प्रदेश में आंधी, तूफान एवं भारी वर्षा से फसलों के बर्बाद होने पर किसानों को मुआवजा न मिलने के संबंध में श्री रामनिवास रावत, सदस्य चर्चा उठाएंगे. श्री रामनिवास रावत अपनी बात कहें.

(व्यवधान के कारण चर्चा न हो सकी)

11.59 बजे **निंदा प्रस्ताव**

विपक्ष (कांग्रेस पक्ष) द्वारा प्रश्नकाल न चलने देने तथा लंबे समय से हो-हल्ला करने से सदन का महत्वपूर्ण समय जाया होने के संबंध में निंदा प्रस्ताव.

संसदीय कार्यमंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र)—अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि विपक्ष (कांग्रेस पक्ष) ने प्रश्नकाल नहीं चलने दिया है तथा लंबे समय से हो-हल्ला कर सदन का महत्वपूर्ण समय जाया कर रहे हैं. इनके इस कृत्य की यह सदन निंदा करता है.

अध्यक्ष महोदय—विपक्ष (कांग्रेस पक्ष) ने प्रश्नकाल नहीं चलने दिया है तथा लंबे समय से हो-हल्ला कर सदन का महत्वपूर्ण समय जाया कर रहे हैं. इनके इस कृत्य की यह सदन निंदा करता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय—विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2015 को प्रात: 10:30 बजे तक के लिए स्थगित.

मध्याह्न 12.00 बजे विधानसभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2015 (31 आषाढ़, शक संवत् 1937) के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल
दिनांक : 21 जुलाई, 2015

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधानसभा